न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-119/2016/टोंक (2016/00032)

फूलाराम पुत्र लादूराम जाति मीणा (फौत) जरिये वारिसान

1- अजयपाल पुत्र फूलाराम

2- बलवीर पुत्र फूलाराम

3- सजना पत्नी फूलाराम

4- पूर्णिमा पुत्री फूलाराम
समस्त जाति मीणा निवासीगण राहोली तहसील निवाई जिला टोंक

5- राधाकिशन पुत्र लादूराम जाति मीणा निवासी राहोली तहसील निवाई जिला टोंक

अपीलांट्स

बनाम

रूघा पुत्र लादूराम जाति मीणा (फौत) जरिये वारिसान

1. लालचन्द पुत्र रूघा
2. बंशी पुत्र रूघा
3. श्योप्यारी पुत्री रूघा
4. पंची पुत्री रूघा
5. कानी पत्नी रूघा
   समस्त जाति मीणा निवासीगण राहोली तहसील निवाई जिला टोंक
6. एस0बी0बी0जे0 शाखा राहोली तहसील निवाई जरिये प्रबन्धक

रेस्पोडेंट्स

<u>अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलादार (भू.अ.) निवाई टोंक दिनांक 10.08.2016 अंतर्गत अपील संख्या 02/2016.</u>

उपस्थितः-

1. श्री शान्ति प्रकाश ओझा, अभिभाषक अपीलांट उपस्थित।
2. श्री वी0पी0 सिंह, अभिभाषक रेस्पो0 1 से 5 उपस्थित ।
3. रेस्पो0 सं0 6 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :- 29.01.2020

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान तहसीलदार, निवाई जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक

10.08.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी जो नामान्तकरण संख्या 1350 में अंकित है, ग्राम राहोली तहसील निवाई में स्थित है। उक्त आराजी के खातेदार लादू पुत्र धोकला थे, लादू का का बडा भाई भूरा था, भूरा के दो पत्नीयां प्रथम पत्नी पारा तथा द्वितीय पत्नी ज्याना थी। भूरा की मृत्यु के समय लादू अविवाहित था, जिस कारण भूरा की मृत्यु के बाद भूरा की पत्नी पारा ने लादू से चुडियां पहन ली थी, जिससे रूघा पैदा हुआ। प्रथम पत्नी पारा की मृत्यु होने पर भूरा की दूसरी पत्नी ज्याना ने भी लादू से चूडी पहन ली जिससे दो पुत्र फूलाराम व राधाकिशन हुए। इस प्रकार लादू के तीन पुत्र होकर तीनों ही 1/3 – 1/3 के हिस्सेदार व काबिल काश्तकार रहे। लादू के स्वर्गवास के पश्चात नामा0 सं0 1350 दिनांक 27.01.1955 को पारित किया गया था की सम्पूर्ण आराजी अकेले रूघा के नाम दर्ज कर दी गयी। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध फूलाराम व राधाकिशन ने उपखण्ड अधिकारी, टोंक के न्यायालय के अपील प्रस्तुत की। उपखण्ड अधिकारी, टोंक ने अपने निर्णिय दिनांक 17.05.2000 द्वारा अपील स्वीकार कर नामा0 सं0 1350 को खारिज कर तहसीलदार, निवाई को वारिसान की जांच कर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया। तहसीलदार, निवाई द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.06.2000 में पूर्व नामा0सं0 1350 को बहाल रख दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट फूलाराम व राधाकिशन द्वारा एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, निवाई के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 व 188 बाबत खातेदारी घोषणा व बंटवारा हेतु प्रस्तुत किया। उक्त वाद में उनके अभिभाषक के उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी व अदम पैरवी में दिनांक 18.12.2014 को खारिज कर दिया। जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट ने वाद को पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। xx

2- इसी दरम्यान रूघा का स्वर्गवास होने के कारण रूघा के वारिसान के नाम दर्ज करने हेतु नामा0सं0 3376 भरकर जांच हेतु प्रस्तुत होने पर फूलाराम के वारिसान अपीलांट अजयपाल की ओर से आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार, निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 10.08.2016 को रूघा के वारिसान के नाम नामा0 सं0 3376 के नाम करने के आदेश पारित कर दिये। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। xx

3- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई । xx

4- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि तहसीलदार, निवाई जिला टोंक का निर्णय दिनांक 10.08.2016 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। xx

5- अपीलांट अभिभाषक ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि अधि0 न्याया0 ने सरसरी रूप से अपीलांट के तथ्यों व कथनों को समझे बगैर रूघा के वारिसान के नाम दर्ज करने के आदेश पारित करने में भारी भूल की है। जब पक्षकारों के मध्य किसी नामान्तरकरण पारित करने पर विवाद हो जाता है तो तहसीलदार को विवादित नामान्तरकरण पारित नहीं करना चाहिये बल्कि उक्त विवाद को सक्षम न्यायालय से निर्णित होने पर ही कार्यवाही करनी चाहिये। अपनी बहस में उन्होनें आगे कथन किया कि पक्षकारों के मध्य लादू के वारिसान व हिस्से को लेकर विवाद विचाराधीन है, चूंकि नामा0 सं0 1350 जो लादू के फौत होने पर रूघा के नाम अकेले दर्ज कर दिया था, तब से विवाद विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है, जिसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। लादू के स्वर्गवास के पश्चात नामा0 सं0 1350 दिनांक 27.01.1995 को पारित किया गया था की सम्पूर्ण आराजी अकेले रूघा के नाम दर्ज कर दी गयी। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध फूलाराम व राधाकिशन ने उपखण्ड अधिकारी, टोंक के न्यायालय के अपील प्रस्तुत की। उपखण्ड अधिकारी, टोंक ने अपने निर्णिय दिनांक 17.05.2000 द्वारा अपील स्वीकार कर नामा0 सं0 1350 को खारिज कर तहसीलदार, निवाई को वारिसान की जांच कर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया। तहसीलदार, निवाई द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.06.2000 में पूर्व नामा0सं0 1350 को बहाल रख दिया। इस पर अपीलांट फूलाराम व राधाकिशन द्वारा एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, निवाई के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 व 188 बाबत खातेदारी घोषणा व बंटवारा हेतु प्रस्तुत किया। उक्त वाद में उनके अभिभाषक के उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी व अदम पैरवी में दिनांक 18.12.2014 को खारिज कर दिया। जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट ने वाद को पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। अभि0 अपी0 ने अपनी बहस के अन्त में उन्होनें कथन किया कि लादू के तीन पुत्र थे क्रमशः रूघा, फूलाराम एवं राधाकिशन जिसमें फूलाराम के वारिसान अपीलांट सं0 1 लगायत 4 है तथा

राधाकिशन अपीलांट सं0 2 है तथा रूघा के वारिसान रेस्पो0 है, जिनका 1/3–1/3 हिस्सा है। तहसीलदार, निवाई द्वारा विवादित आराजी को रूघा के वारिसान के नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर भारी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें। xx

6- अभिभाषक अपीलांट की उक्त बहस के क्रम में रेस्पोडेंटस के विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि तहसीलदार, निवाई द्वारा ने अपने निर्णय दिनांक 27.06.2000 द्वारा नामा0 सं0 1350 के जरिये लादू की विरासत निर्धारित हो चुकी है। वर्तमान में नामा0 सं0 3376 लादू की विरासत का ना होकर रूघा की विरासत का निर्णय हुआ है। अपीलांट फूलाराम व राधाकिशन द्वारा एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, निवाई के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 व 188 बाबत खातेदारी घोषणा व बंटवारा हेतु प्रस्तुत किया। उक्त वाद में उनके अभिभाषक के उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी व अदम पैरवी में दिनांक 18.12.2014 को खारिज कर दिया। पत्रावली में उक्त वाद विचाराधीन होने का कोई साक्ष्य नहीं है। यदि दावा विचाराधीन भी है तो दावे के निर्णय तक नामान्तरकरण की कार्यवाही को नहीं रोका जा सकता है। तहसीलदार, निवाई ने अपने निर्णय में अपीलांट द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आपत्ति को भी उचित रूप से निस्तारित किया है। वैसे भी नामान्तरकरण एक फिक्सल प्रोसिडिंग है, जिसमें किसी के हक अधिकार तय नहीं होते है। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, निवाई के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 व 188 बाबत खातेदारी घोषणा व बंटवारा हेतु में निर्णय पश्चात नामान्तरकरण की कार्यवाही तदनुसार की जा सकेगी। तब तक नामान्तरकरण कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। xx

7- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण रूघा पुत्र लादू की विरासत से संबंधित रहा है। दोनों पक्षों की बहस से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि रूघा पुत्र लादू के प्राकृतिक वारिसान वर्तमान रेस्पो0 सं0 1 लगायत 5 ही है और अधि0न्याया के समक्ष प्रस्तुत गवाहान व पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी यह तथ्य स्पष्ट है कि वर्तमान रेस्पो0 सं0 1 लगायत 5 के अतिरिक्त रूघा पुत्र लादू के अन्य कोई वारिसान नहीं है। जहां तक अपीलांटस का यह कथन कि मूल खातेदार लादू के तीन पुत्र रूघा, फूलाराम व राधाकिशन थे, लेकिन

नामान्तरकरण संख्या 1350 अकेले रूघा के नाम गलत रूप से स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 1350 के विरूद्ध फूलाराम व राधाकिशन ने उपखण्ड अधिकारी, टोंक के न्यायालय के अपील प्रस्तुत की। उपखण्ड अधिकारी, टोंक ने अपने निर्णिय दिनांक 17.05.2000 द्वारा अपील स्वीकार कर नामा0 सं0 1350 को खारिज कर तहसीलदार, निवाई को वारिसान की जांच कर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया। तहसीलदार, निवाई द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.06.2000 में पूर्व नामा0सं0 1350 को बहाल रख दिया। जिसके विरूद्ध वर्तमान अपीलांटस द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई जिससे नामान्तरकरण संख्या 1350 वर्तमान में प्रभावी है, जो रूघा पुत्र लादू के नाम स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में अधि0न्याया0 द्वारा पूर्ण जांच कर रूघा पुत्र लादू की विरासत उसके प्राकृतिक वारिसान में स्वीकृत की गई है, जो पूर्णतः उचित है। जहां तक अपीलांटस का यह कथन कि उनके द्वारा एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, निवाई के यहां प्रस्तुत कर रखा है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, जिसके निर्णय तक नामान्तरकरण की कार्यवाही को रोका जावें। इस पर अभि0 रेस्पो0 के इस कथन से हम सहमत है कि नामान्तरकरण एक फिक्सल कार्यवाही है। जिसमें किसी व्यक्ति के हक व अधिकारों का निर्णय नहीं होता है एवं नामान्तरकरण मृत व्यक्ति के नाम नहीं रखा जा सकता है। अपीलांटस द्वारा अधि0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत वाद के निर्णय पर तदनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। ऐसी स्थिति में राजस्व वाद के निस्तारण तक नामान्तरकरण कार्यवाही को रोका जाना न्योचित नहीं है। इसलिए हम अधिनस्थ न्यायालय (तहसीलदार (भू.अ.) निवाई जिला टोंक) के निर्णय को निरस्त करना उचित नहीं समझते है। xx

–ः<u>क्रियात्मक आदेश</u>ः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 119/2016 (2016/00032) बउनवानी अजयपाल व अन्य बनाम लालचन्द व अन्य को खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार (भू.अ.) निवाई जिला टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 2/2016 बउनवान सरकार बनाम अजयपाल में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2016 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 29.01.2020 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.03.04 15:08:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: